By Registered Post A. D.

सहाय्यक भविष्य निधी आयुक्त का कार्यालय

'अभिनय' थिएटर के पास जाफरगेट मोन्हा, औरंगाबाद-४३१००१.

OFFICE OF THE ASSISTANT PROVIDENT FUND COMMISSIONER Near Abhinay Cinema. Jafar Gate, Mondha, Aurangabad - 431 001.

सं. महा भ नि. प्रयोज्यता No. MH/PE/APP/80073/PF/APP/SRO/AUR/92/89

Date: 09/4/1992

10-H-92

सेबा मे To

The Proprietor

M/s.Precicut Engineers

F-21/1, MIDC Area, Chikalthana Aurangabad.

विषय: - कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 और उसके अधिन बनाई गई योजना-इसकी प्रयोज्यता-संकेत

Sub: Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and the scheme framed thereunder-applicability thereof-Allotment of code number.

महोदय. Sirs,

से कमंचारी भविष्य निधी एवं 1. आपकी फॅक्ट्री /स्थापना उसकी सभी शाखाए और विभागों के साथ दि. प्रकिण उपलब्ध अधिनियम, 1952 और उसके अधिन बनाई गई योजना के प्रविधान खण्ड में समाविष्ट की गई है। उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार यइ प्रकट होता हैं कि :-

1. Your factory/establishment with all its branches and departments is brought within the purview of the available reveals that-

का कार्य करती है जिसपर अधिनियम की धारा (1) आपको फॅक्ट्री अनुसूची 1 में उहिलखित उद्योग 1 (3) के अधिन कर्मचारी भविष्य निधी एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 लागू होता है।

..... one of the Industries (i) Your factory is engaged in E. M. G. E. specified in Schedule I to which the Emplopees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 is applicable under Section 1 (3) (a) of the Act.

के लिए वर्गीकृत की गई है जिसपर अधिनियम की धारा 1 (3) (बी) के अधिन 2. आपकी स्थापना भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधी एवं प्रकिण उपलब्ध अधिनियम, 1952 लागू किया है।

3. आपकी फॅक्ट्री/स्थापना जो कार्यं करती है वह अनुसूची 1 में उल्लिखित उद्योग मे तथा अधिनियम की घारा 1(8) (बी) के अनुसार भारत सरकार द्वारा अनुसूचित स्थापनाओं के वर्ग मे अन्तर्भुत नही हैं। अतः आपकी स्थापना को अ-सूचिवद्ध माना गया है।

(1-क) जांच पडताल/उप अब सूचना के आधार पर व्याप्ति तत्कालिक स्वरुप की है, लेकिन इस शर्त पर कि आपके पूर्व अवधि के प्रलेख सत्यापित हो जाए।

(1-A) The coverage is provisional on the basis of enquiries made/information available and is subject to

further verification of your records for prior periods.

(1-ख) अधिनियम की धारा (1) (4) के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिण उपलब्ध अधिनियम, 1952 के स्वैन्छिक रुप के सन्दर्भ में कर्मचारी भविष्य दि. से विस्तार के सम्बन्ध मे प्राप्त आपके आवेदन सं निधी प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुन्ने भारत सरकार द्वारा अधिसूचना से, व्याप्ती करके उसके लिए. एम्एच् जारी होने तक आपकी स्थापना की तत्कालिक रूप से दि. यह संकेत संख्य। नियत की गई हैं.

MH/ provisionally covering your establi-hment with effect from pending issue of a notification by the Government of India in exercise of the powers conferred on them by sub-section (4) of section 1 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952.

- (1-क) आपकी कर्म वारी भविष्य निधी एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 और उसके अधिन बनाई गई योजना के उपबंत्यों का अनुपालन करने के लिए एम्एच्/ यह संकेत संख्या नियत की है। यह संकेत संख्या इस कार्यालय के साथ किये जानेंवाले सभी पत्राचार पर नित्य रूप से उद्धृत की जाए।
- (1–C) The code No. MH/.8007.3 is allotted to you for the purpose of making compliance with the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and the Scheme framed thereunder. This code number should invariably be quoted in all the correspondence with this office.
 - 2. आपको से कर्मचारी भविष्य निधी योजना

से परिवार पेन्शन योजना तथा

से निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना के उपबन्धों को कार्यान्वित करना हैं, अगर अभीतक न किये हो, तो।

- 2. You are required to implement the provisions of the Employees' Provident Fund Scheme w. e. f. 1/9/1990 Family Pension Scheme w. e. f. 1/9/1990 and Deposit Linked Insurance Scheme w. e, f. 1/9/1990 if not already done.
- 3. फॅक्ट्री/स्थापना में या उसके काम के सम्बंध में कार्य करनेवाला कर्मचारी भविष्य निधी योजना, 1952 की धारा 26 के अनुसार निधि की सदस्यता के लिए पात्र होगा।
- 3. As provided in para. 26 of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952, an employee working in or in connection with the work of the facory/establishment shall be eligible for membership of the fund
- 4 (1) हर महिने प्रत्येक कर्मचारी को देय मूल बेतन, महागाई भत्ता (अनाज मुविधा की नगद कींमत के साथ) और अगर हो तो प्रतिधारणभत्ते कें $6.1/4./\cdot /8./\cdot /8.1/3./\cdot /10./\cdot$ की दर से अंशदान नियोक्ता द्वारा देय होगा । कर्मचारी द्वारा देय अंशदान के समान होगा ।
- 4. (i) The contributions payable by the employer shall be at the rate of 6.1/4%x/8% / 8.1/3% / 10% of basic wages, dearness allowance (including cash value of food concession) and retaining allowance, if any payable to each employee every month. The contribution payable by the employee shall be equal to the contribution payable by the employer.
- (2) अंशदान पुर्णं महिने में प्राप्त किये मूल वेतन, महागाई भत्ता आदी के आधार पर परिकलीत किया जाए, चाहे वह दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक आधार पर अदा किया है।
- (ii) The contributions shall be calculated on the basic wages, dearness allowance etc. actually drawn during the whole month whether paid on daily, weekly, fortnightly or monthly basis.
- (3) प्रत्येक अंशदान रुपये के नजदिक के चतृथांस में परिकलीत किया जाएगा । जैसे कि 125 या उसके अधिके पैसे रुपये के अगले उच्च चतृथांश के अनुसार गिने जाए ।
- (iii) Each contribution shall be calculated on the nearest quarter of a rupee i. e. 125 paise more to be counted as the next higher quarter of a rupee
- (4) अंशदान की परिगणना हेतु वेतन नजदिक के रुपये में पूर्णांकित किया जाए जैसे कि 50 या उससे अधिक पैसे रुपया के अनुसार गिने जाए और 50 से कम पैसे छोड दिये जाए।
- (iv) For the purpose of calculation of contributions the wages may be rounded off to the nearest rupee i e. 50 paise or more being taken as one rupee and less than 50 paise ignored.
 - टिप्पणी :- किसी भी दिन आपने 50 या 50 से अधिक व्यक्तियों को कामपर रखा तो आप 10,/ अंशदान देने के लिए उत्तरदायी होंगे।
 NOTE: On your employing 50 or more than 50 persons on any day, you will be liable to pay contributions —10%
 - (5) नियोक्ता प्रथमतः उसके और कर्मचारी की ओर से देय दोनो अंशदान भरे।
- (v) The employer shall in the first instance, pay both contributions payable by himself and also on behalf of the member.
- (6) ठेकेदार द्वारा कामपर लगाये हुये कर्मचारीयों के बारे में देय अंशदान ठेकेदार वसूल करेगा और सदस्य के अंशदान की कटौती समान अंशदान की राशी प्रशासनिक खर्चा की रक्कम के साथ मुख्य नियोक्ता को सुपूर्त करेगा।
- (vi) In respect of employee employed by or through a contractor, the contractor shall recover the contribution payable by such employees and shall pay to the principal employer the amount of member's contribution so deducted together with an equal amount of contributions and administrative charges.
- (7) मुख्य नियोक्ता पर उसके कर्मचारीयों के एवं ठेकेदार द्वारा कामपर लगाये गये कर्मचारीयों के बारे मे देय दोनो अंशदान और प्रशासनिक खर्चों की रक्कम भरने की जिम्मेदारी होगी।
- (vii) It shall be the responsibility of the principal employer to pay both the contributions payable by himself in respect of employees employed by him and also in respect of employees employed by or through a contractor and also Administrative charges.

- 5. कमींचारी को उसका बेतन देने से पहले आप उसके बेतन से कमींचारी के अंशदान की कटोती करें और आपका अंशदान एवं प्रशासनिक खर्चों की रकम के साथ प्रत्येक महिने की समाप्ति के १५ दिन के अंदर भा तीय स्टंट बेंक द्वारा पोषित निधि के लेख में अलग चालान द्वारा निम्नलिखित प्रकार से भरे.
- 5. Before paying the member his wages, you shall deduct the employee's contributions from his wages which together with your own contribution and administrative charges shall, within 15 days of the close of every month be paid in to the Accounts of the Fund maintained by the the State Bank of India by separate challans in the following manner:
 - (क) भ. नि. अंशदान (दोनो कर्मचारी एवं नियोक्ता का) कर्मचारी भविष्य निधी लेखा १ मे विक्षेपित किया जाए।
 - (a) P. F. contributions (both employees' and employer's To be deposited in Employees' Provident Fund Account No. 1.
 - (ख) प्रशासनिक खर्चों की रक्कम
 - (b) Administrative charges
 - (ग) परिवार पेन्हान अंहादान
 - (c) Family Pension contributions

कमंचारी भविष्य निधि लेखा सं. २ मे निक्षेपित किया जाए।

To be deposited in Employees' Provident Fund Account No. 2.

कमँचारी परिवार पेन्शन निधीं लेखा सं १० में निक्षेपित किया जाए। To be deposited in Employees' Family Pension Fund Account No. 10

टिप्पणी:- 1. प्रशासनिक खर्चों की दर वेतन के, अर्थात मूल वेतन, अनाज मुविधा की नकद कींमत के साथ महंगाई भत्ता और अगर हो तो प्रतिधारण भन्ते के 0.65 /. है। जिस स्थापना द्वारा प्रशासनिक खर्चों की रकम प्रतिमास 5.00 रुपयों के कम परिकल्कित होती हो, उसके द्वारा प्रशासनिक खर्चों की रकम प्रतिमास कम से कम 5.00 रुपये देय होगी।

NOTE: (i) The rate of administrative charges is 0.65 percent of pay i. e. basic wages, dearness allowance including cash value of any food concession and retaining allowance, if any.

- (2) यह भी नोट कर लिया जाए की सदस्य के वेतन से तथा समय कटौती न करने पर अंशदान के दोनो हिस्से खुद नियोक्ता को भरने होंगे क्यों की उत्तरवर्ती वेतन से पिछले अवधि के लिये बकाये अंशदान की वसूली निशिद्ध है।
- (ii) It may be noted that if timely deductions are not made from the members' wages, the employer will have to pay both the shares himself as the recovery of arrears contributions for back period from the subsequent wages of the employee is prohibited.
- (3) आपको सभी पात्र कर्मचारीयों के बारे मे पिछले से तक के महिनों के लिए भविष्य निधी कुल अंशदान इस पत्र की तारीख से ३० दिन के अन्दर सम्बन्धित खाते में निक्षेपित करना है।
- (iii) You have to deposit the total P. F. contributions of the eligible employees for all past months namely from 1/9/1990 to 31/3/1992 in to the respective account within 30 days from the date of this letter.
 - (4) धन प्रेषन हेतु सम्बन्धित चालान इस कार्यालय यां विभिन्न जिलों में स्थित निरिक्षक कार्यालय से प्राप्त कियें जा सकते हैं।
- (iv) The relevant challans for the purpose of remittance can be had from any branch of the State Bank of India, situated in Marathwada rigion consisting of Aurangabad, Jalna, Parbhani, Nanded, Latur, Osmanabad, Beed.
- (5) चेक यथा अवस्था क. भ. नि लेखा सं 1, 2, 10, 21, और 22 के नाम से लिखकर चालान की चार प्रतियों के साथ भारतीय स्टेट बॅन्क की किसी भी शाखा में प्रस्तृत किये जाए।
- (6) लेखा संख्या 1, 2 और 10 में (उपयुक्त ब्योंरें के अनुसार) किये जानें वाले निक्षेप के अतिरिक्त आपको कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना १९७६ के अन्तर्गत लेखा सं 21 और 22 में निम्निलिखित प्रकार से राशीका निक्षेप प्रत्येक मिहने की समाप्ति के बाद अगले मिहनें के १५ दिन के अन्दर करना है।
- 6. Besides marking deposits in Account Nos. 1, 2 and 10 (as explained above), you are also required to deposit the amounts in Account Nos. 21 and 22 under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 in the manner indicated below within 15 days of the close of each month.
 - निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि लेखा सं 21,
 - (i) Deposit Linked Insurance Fund Account No. 21.
 - २. क्षेत्रीय बीमा निधी प्रशासन लेंखा सं. 22.
 - (ii) Regional Insurance Fund Administration Account No.22

इस लेखा मे नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को देय मूल वेतन, महंगाई भत्ता (अनाज सुविधा की नगद कींमत के साथ) और अगर हो तो प्रतिधारण मत्ते की कुल राशी पर •.५/. की दर से अंशदान निधेपित करना है।

To this account will be deposited the contribution 0.5 % which will be the aggregate of the basic wages, dearness allowance (including cash value of food concession) and retaining allowance, if any, payable to the employees by the employer

इस लेखा में नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को देय मूल वेतन, महंगाई भत्ता (अनाज सुविधा की नगद कोंमत के साथ) और अगर हो तो प्रतिधारण भत्ते की कुल राशी पर •.०१ की दर से प्रशासनिक खर्चों की रकम निक्षेपित करनी हैं।

To this account will be deposited the administrative charges 0.01 percent which will be the aggregate of the basic wages, dearness allowance (including the cash value of food concession) and retaining allowance, if any, payable to the emplopees by the employer.

- 7. उपयुक्त लेखा सं 1,2,10,21 और 22 में किया जानेंबाला निक्षेप अलग बालान द्वारा किया जाए एवं बैंक द्वारा प्राप्त पावती बालान की श्रांत प्रपत्र सं. १२-ए (निम्नलिखित ब्योंरो के अनुसार) के साथ संलग्न करके इस कार्यालय को भेजी जाए।
- 7, The deposit in the above Account viz. No. 1, 2, 10, 21 and 22 are to be made by separate challans and a copy of the challan as receipted by the Bank may be forwarded to this office duly attached with form 12-A (explained below)
 - 8. आपको निम्नलिखित विवरणियों का पोषण/प्रेषण करना है।
 - 8. You are required to maintain/forward the following returns
 - रे. क. भ. ति. योजन १९५२ योजना के अन्तर्गंत फॅक्ट्री/स्थापना की व्याप्ति की तारीख पर जिन्हे सदस्य बनाना आवश्यक के अन्तर्गंत प्रपत्र संख्या ९ हैं या जो सदस्य बननेके लिए पात्र है उन कर्मचारीयों के बारे मे केवल एक बार इन्हे इस कार्यालय में प्रस्तुत करना है।
 - (i) Form No. 9 under the EPF Scheme 1952.

 These are to be submitted to this office once in respect of those employees who are required or entitled to become members on the date the factory/establishment is covered under the Scheme.
 - २. कर्मचारी भ. नि. योजना इन्हे इस कार्यालय को भेजने के लिए प्रत्येक सदस्य से दो प्रतियो से प्राप्त करना है। १९५२ तथा प. पे. नि. योजना १९७१ कें अन्तर्गत प्रपत्र सं. २
 - (ii) From No 2 under the EPF Scheme, 1952 and & so under F. P. F. Scheme, 1971.

 These are to be obtained in duplicate from every member for submission to this office.
 - रे प्रपत्र सं. ५-ए. यह इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा । मालिकी मे अगर उत्तरवर्ती परिवर्तन हो जा**ए** तो उसे इस प्रपत्र के जरिए इस कार्यालय को सुचित किया जाए ।
 - (iii Form No. 5-A

 This is to be submitted to this office. Any subsequent change in ownership is also to be notified to this office through this form.
 - ४. प्रपत्र सं. ३-ए. इसे प्रत्येक सदस्य कर्मचारी के बारे मे फॅक्ट्री/स्थापना मे पोषीत किया जाना है।
 - (iv) Form No. 3-A

 This is to be maintained at the factory/establishment in respect of every employee who is a member.
 - प्रपत्र सं. ६-ए. यह अंशदान की वाषिक विवरणी हें और इसे वित्तिय वर्ष की समाप्ति पर ३० दिन के अन्दर इस कार्यालय को भेजा जाना है.
 - (v) From No. 6-A

 This is the annual return of contributions and is to be submitted to this. office within 30 days of the close of the financial year.
 - रि. प्रपत्र सं. १२-ए यह अंशदान की मासिक विवरण हैं और इसे २५ तारीख तक इस कार्यांलय को भेजा जाना है। भारतीय स्टेट वॅन्क मे किये गये निक्षेप के पुष्टिकरण हैतु चालान की प्रतिया इसके साथ संलग्न की जाए।
 - vi) Form No. 12-A

 This is the monthly return of contributions and is to be submitted to this office by 25th. Copies of the challan, in support of the deposits made in the State Bank of India should be attached with this.
 - 9. प्रपत्र सं. ५ और १० यह महिने में जिन कर्मचारीयों को सदस्य बनाया गया है तथा जिन कर्मचारीयों ने सेवा त्याग दी हैं। उनके सम्बन्धि विवरणियों है जिन्हे २५ तारीख तक इस कार्यांक्षय को भेजा जाता है।
 - (vii) Form Nos. 5 and 10

 These are the returns of employees who have become new members or have left the service in the month and are to be submitted to this office by the 25th.

- 9. कर्मचारी भविष्य निधि योजना, परिवार पेन्शन योजना तथा निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना १९७६ के अन्तर्गत सभी निर्धारित प्रपत्र भविष्य निधि निरीक्षक के कार्यालय मे उपलब्ध है और आपकी पहचान पर उसकी पूर्ती की जाएगी। योजना के निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों का संक्षिप्त विवरण अनुलग्नक "ए" में दिया है। शोध गणक भी इसके संक्रग्न है।
- 9. All the forms prescribed under the Employees' Provident Funds Scheme, the Family Pension Fund Scheme and the Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 are available at this Office and will be supplied on A ready reckoner is also enclosed
- 10. इसके अलावा आपको सेवा में लिए गये प्रत्येक कर्मचारी से प्रपत्र सं. ११ में निवेदन प्राप्त करना होगा जिससे वह पहले भविष्य निधि योजना का सदस्य था या नहीं इसका पता चल सके। सदस्यता के लिये लगनेवाली योग्यता की जांच करने हेतु प्रत्येक स्थापना असदस्य कर्मचारीयों के बारे में पात्रता रिजस्टर रखेंगी।
- 10. Besides, you should also take a declaration in form No. 11 from every employee who is taken in employment to ascertain as to whether or not he was already a member of the Provident Fund Scheme.
- 11. निम्नलिखित प्रारुप के अनुसार एक निरिक्षक पुस्तिका रखी जाए एवं टीका-टिप्पणी दर्ज करने के लिए उसे भविष्य निधि निरीक्षक को प्रस्तुत किया जाए।
- 11. An Inspection book in the following proforms may also be maintained and produced to the Provident Fund Inspector for recording his observations.

(१) (i)	नाम गाप गरावाक का नाम
(ii)	जांच किये गये लेखा की अवधि Period for which accounts are checked
(§) (iii)	भेट की तारीख Date of visit
(in) (a)	टीका टिप्पणी Observations

12. उपयुक्त धारा २-के अनुसार आपको फॅक्ट्री/स्थापना के लिये एमएच/
सख्या नियत की है। सदस्यों की लेखा संख्या ९ और प्रपत्र संख्या ३ (प. पे. नि.) के अनुसार क्रमशः होगी। एतद् अनुसार सदस्यों की वैयन्तिक लेखा संख्या एमएच/
/१. एमएह /२. एमएच /३और इसीतरह लगातार, होगी। एक बार एक सदस्य को नियत की गयी लेखा संख्या किसी भी मामले में दुसरे सदस्य के लिए नियत नहीं की जाएगी। (जिस सदस्य को लेखा संख्या दी गई है उसने आपकी सेवा त्याग देने पर भी)

- 9. कर्मचारी भविष्य निधि योजना, परिवार पेन्शन योजना तथा निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना १९७६ के अन्तर्गत सभी निर्धारित प्रपत्र भविष्य निधि निरीक्षक के कार्यालय मे उपलब्ध है और आपकी पहचान पर उसकी पूर्ती की जाएगी। योजना के निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों का संक्षिप्त विवरण अनुलग्नक "ए" में दिया है। शोध गणक भी इसके संक्रग्न है।
- 9. All the forms prescribed under the Employees' Provident Funds Scheme, the Family Pension Fund Scheme and the Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 are available at this Office and will be supplied on A ready reckoner is also enclosed
- 10. इसके अलावा आपको सेवा में लिए गये प्रत्येक कर्मचारी से प्रपत्र सं. ११ में निवेदन प्राप्त करना होगा जिससे वह पहले भविष्य निधि योजना का सदस्य था या नहीं इसका पता चल सके। सदस्यता के लिये लगनेवाली योग्यता की जांच करने हेतु प्रत्येक स्थापना असदस्य कर्मचारीयों के बारे में पात्रता रिजस्टर रखेंगी।
- 10. Besides, you should also take a declaration in form No. 11 from every employee who is taken in employment to ascertain as to whether or not he was already a member of the Provident Fund Scheme.
- 11. निम्नलिखित प्रारुप के अनुसार एक निरिक्षक पुस्तिका रखी जाए एवं टीका-टिप्पणी दर्ज करने के लिए उसे भविष्य निधि निरीक्षक को प्रस्तुत किया जाए।
- 11. An Inspection book in the following proforms may also be maintained and produced to the Provident Fund Inspector for recording his observations.

(१) (i)	नाम गाप गरावाक का नाम
(ii)	जांच किये गये लेखा की अवधि Period for which accounts are checked
(§) (iii)	भेट की तारीख Date of visit
(in) (a)	टीका टिप्पणी Observations

12. उपयुक्त धारा २-के अनुसार आपको फॅक्ट्री/स्थापना के लिये एमएच/
सख्या नियत की है। सदस्यों की लेखा संख्या ९ और प्रपत्र संख्या ३ (प. पे. नि.) के अनुसार क्रमशः होगी। एतद् अनुसार सदस्यों की वैयन्तिक लेखा संख्या एमएच/
/१. एमएह /२. एमएच /३और इसीतरह लगातार, होगी। एक बार एक सदस्य को नियत की गयी लेखा संख्या किसी भी मामले में दुसरे सदस्य के लिए नियत नहीं की जाएगी। (जिस सदस्य को लेखा संख्या दी गई है उसने आपकी सेवा त्याग देने पर भी)

13. यह सुनिश्चित किया जाए कि निधि की देय राशी निर्धारित समय मे भरनी है। विलंबित अदायगी कर्मचारी भविष्य निधी एवं

प्रिकण उपलब्ध अधिनियम की धारा १४-बी के अनुसार सौ प्रतिशत क्षतिमृत्य के लिए उत्तरदायी होगी।

13. It is important to ensure that the amount due to the Fund is paid within the prescribed time limit. Delayed payments are liable to damages upto hundred per cent of the arrears as provided in Section 14-B of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952.

14. इसके अतिरिक्त देयता की अदेनगी तथा विवरणियों की अ-प्रस्तुति के लिए अभियोग भी लगाया जाएगा।

14. Besides, Prosecution could also lie for non-payment of dues and for non-submission of returns.

15. इस कार्यांलय के निरीक्षक आपकी स्थापना को भेट देंगे। इसलिए आपसे निवेदन है की उन्हें आवश्यक सहयोग दे। तथापि, अगर आपको कोई कठिनाई महसूस हो या आप किसी प्रकार के मार्गदर्शन की अपेक्षा रखते हैं। तो इस कार्यांलय को या निम्नलिखित पते पर भविष्य निधि निरीक्षक को लिख सकते है।

15. An Inspector of this office will be visiting your establishment. You are requested to please afford him necessary co-operation. However, if you experience any difficulty or desire any guidance, you my please write to this office or the Provident Fund Inspector whose address is given below.

16.Previous Provident Fund accumulation, if any, should be transferred in cash within 15 days or in form securities within 30 days.

श्री/श्रीमती

भविष्य निधि निरीक्षक

भवदीय,

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र तथा गोवा.

Provident Fund Inspector

Shri C.C.Ullagadi

Please acknowledge receipt of this communication.

Yours faithfully,

Regional Provident and Commissioner. Assistant ProMdhataShtra and Gossioner

wangabad.

संलग्नक:

encl.

- 1. संकेत संख्या के आबंटन सम्बन्धि सूचना
- 1. Instruction regarding allotment of A/c number and filling up of Scheme.
- 2. Instructions regarding transfer of previous Provident Fund accumulations and transfer of securities.
- 3. Ready Reckoner for calculating P. F, contributions / F. P, contribution / Deposit Linked Insurance Contribution.

लेखा संख्या के आबंटन संस्वन्धि सूचना INSTRUCTION REGARDING ALLOTMENT OF ACCOUNT NUMBER

फॅक्ट्री स्थापना की संकेत संख्या के अन्तर्गंत योगकर्ता कर्मचारी की लेखा संख्या क्रिमक रूप से होगी। प्रत्येक फॅक्ट्री/स्थापना आपना खुद की क्रमसंख्या बनाएगी एवं निधि के जितने योगकर्ता है उतनी ही क्रमसंख्या होंगी। फॅक्ट्री/स्थापना की संकेत संख्या क्रमसंख्या के पहले जोडनेंपर सम्बन्धित कर्मचारी/योगकर्ता की भविष्य निधि की पूर्ण लेखा संख्या तैयार होगी। उदहारण के तोरपर, अगर आपकी फॅक्ट्री/स्थापना में 52 योगकर्ता है तो उनकी पूर्ण भविष्य निधि लेखा संख्या एम्एच् 306/1, एम्एच् 306/2, एम्एच् 306/3, और इसी तरह लगातार एम्एच् /306/52 तक होगी। जिसते एम्एच्/306 यह फॅक्ट्री/स्थापना की अ-परिवर्तनीय संकेत संख्या सूचित है और संख्यात्मक क्रमांक योगकर्ता के लिए नियत की गयी लेखा संख्या सूचित करते हैं। संकेत संख्या की तरह योगकर्ता को एक बार नियत की गयी लेखा संख्या भी अपरिवर्तनीय होगी। योगकर्तानें सेबा त्याग देनें पर उसका लेखा बंद हो गया हो बन्द लेखा की लेखा संख्या रिक्त रखी जाए। उसे किसी नये सदस्य के लिए फिर से नियत न की जाए 1 योगकर्ता का फॅक्ट्री/स्थापना से स्थानांतरण होनें पर, जिस फॅक्ट्री/स्थापना में वह कार्य करता था उसमे उसकी लेखा संख्या अवृत्त रहेगी लेकिन किसी अन्य को नियत नहीं की जाएगी। क्षेत्रीय भविष्य निधी आयुक्त और फॅक्ट्री/स्थापना के बीच होनेवाले पत्राचार मे योगकर्ता की लेखा संख्या उद्धृत की जायगी।

The employee's/subscriber's account number will be a running number under the code number of the factory/establishment. Each factory/establishment having a serial of its own and as many numbers in the serial as there are subscribers to the Fund. The running numbers prefixed with the code number of the factory/establishment will be the full Provident Fund Account Number of the employee/subscriber concerned For example, if there are 52 subscribers in a factory/establishment their full Provident Fund Account Numbers will be MH/306/2. MH/306/2 MH/306/3, and so on till MH/306/52 where MH/306 denoted the unalterable factory/establishment's code number and the running numerical numbers denote the Account Numbers allotted to each subscriber, like rhe code number, the account number, once allotted to the subscriber will not be changed when he quits service and his account is closed, the number of the closed account will be left blank and WILL NOT BE RE-ALLOTTED TO ANY NEW MEMBER. On transfer of a subscriber from one factory / establishment he joins and his account number in the factory / establishment in which he was last employed will become inoperative and will not be re-allotted to any one. The Account Number of each subscriber must be quoted in all correspondence between the Regional Provident Fund Commissioner and the factory / establishment and vice versa.